न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

नि0न0:—523/2025

1 अर्शदीप सिह पुत्र रघुवीरसिह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम्

1. गगनदीप सिह पुत्र रघुवीरसिह
2. कर्मसिह पुत्र वरयामसिह

} जाति जटसिख निवासीयान सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 धारा,53

उपस्थिति :—श्री सुभाष गर्ग अधिवक्ता **वादी**
श्री महावीर वर्मा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय

दिनांक: 16/4/26

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि एस.एल.डबल्यू के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 15/14 में कुल 4.9840 है0 नहरी मय गै०मु० आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें वादी का 253/623 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 1 गगनदीप सिह का 253/623 हिस्सा तथा प्रतिवादी ' सं0 2 कर्मसिह का 117/623 हिस्सा आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमान्दी संलग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी संयुक्त खाता की आराजी है । वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी में से वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में अपने अपने कब्जा काश्त व रास्ता, खाला की सहुलियत के अनुसार आपस में बाहमी विभाजन किया हुआ है जिसके अनुसार वादी व प्रतिवादीगण अपनी अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। बटवारां में प्राप्त आराजी निम्न प्रकार से है—

क.वादी अर्शदीप सिह को प्राप्त आराजी— चकनं0 8 एस. एल.डबल्यू के प०न० 208/306 मु0 29 किलानं0 1 ता 4/1.012 है0, 7 ता 10/1.012 है0,

ख. प्रतिवादी सं० 1 गगनदीप सिह को प्राप्त आराजी — प०न० 207/304 मु० 11 किलानं0 12,19,20,21, 22, 23 /1.518 है०, प०न० 210/306 मु0 27 किलानं0 10, 11/.506 है0

7. प्रतिवादीसं० 2 कर्मसिह को प्राप्त आराजी— चकनं0 8 एस. एल. डबल्यू के प०न० 208/306 मु0 29 किलानं0 5/1/.228, 5/2/.025 है० गै०मु० खाला, 6/1/.228, 6/2/.025 है0 गै०मु० खाला, प०न० 209/306 मु० 28 किलानं० 1/.253, 2/1/.089 है0, 10/1/.088 है0

वाद पत्र की दफा 3 में दर्ज बटवरां के अनुसार वादी अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है व अपनी आराजी की रकम राज जमा करवाता चला आ रहा है लेकिन वादी की आराजी का खाता प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रहने से वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में रकम राज जमा करवाने तथा काश्त के समय सीमा का विवाद बना रहता है तथा भविष्य में विवाद न हो इस सम्भावना से इन्कार नही जा सकता। इसलिए वादी अपनी आराजी का खाता 'प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त नहीं रखना चाहता है व वाद पत्र की दफा 3 में दर्ज बटवारां के अनुसार अपनी आराजी का खाता तकसीम करवाकर मुताबिक तकसीम रकम राज अलग से कायम करवाने का

उप-खण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी

अधिकारी व दावेदार है। वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा निवेदन किया कि वाद पत्र की दफा 3 में दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी वादी की आराजी का खाता प्रतिवादीगण से तकसीम करवाकर रकम राज अलग से कायम करवा देवे तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे व आज से तीन रोज पूर्व ग्राम सिलवाला खुर्द में कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है। वादी का वाद खाता विभाजन का है तथा प्रतिवादी सं0 3 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार वाद बनाया गया है ताकि दावा में कोई कानूनी खामी ना रहे। वादी का वाद पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है जो अन्दर मियाद व काबिल समायत अदालत हाजा के है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः—

क.कि वादपत्र की दफा 3 में दर्ज बंटवारा के अनुसार वादी की आराजी का खाता प्रतिवादीगण से अलग तकसीम कर मुताबिक तकसीम रकमराज अलग से कायम की जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण की और से जरिये अधिवक्ता वाद की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए सहमति का जवाबदावा पे । किया कि वाद पत्र की दफा 1 पते से सम्बन्धित है जो स्वीकार है । वाद पत्र की दफा 2 में चक नं0 8 एस.एल.डबल्यू के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 15/14 में कुल 4.9840 है0 नहरी मय गै०मु० आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें वादी का 253/623 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 गगनदीप सिह का 253/623 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं० 2 कर्मसिंह का 117/623 हिस्सा आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है होना स्वीकार है। वाद पत्र की दफा 3 में दर्ज तथ्य स्वीकार है । वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी संयुक्त खाता की आराजी है । वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी में से वादी व हम प्रतिवादीगण के मध्य आपस में अपने अपने कब्जा काश्त व रास्ता, खाला की सहुलियत के अनुसार आपस में बाहमी विभाजन किया हुआ है जिसके अनुसार वादी व हम् प्रतिवादीगण अपनी अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। बटवारां में प्राप्त आराजी निम्न प्रकार से हैः—

क.वादी. अर्शदीप सिह को प्राप्त आराजी— चकनं0 8 एस.एल.डबल्यू के प0न0 208/306 मु0 29 किलानं0 1 ता 4/1.012 है0, 7 ता 10/1.012 है0,

ख.प्रतिवादी सं0 1 गगनदीप सिह को प्राप्त आराजी— प०न० 207/304 मु० 11. किलानं0 12,19,20, 21, 22, 23/1.518 है०, प०न० 210/306 मु0 27 किलानं0 10,11/.506 है०

ग. प्रतिवादीसं0 2 कर्मसिह को प्राप्त आराजी— चकनं0 8 एस. एल.डबल्यू के प०न० 208/306 मु0 29 किलानं0 5/1/.228, 5/2/.025 है0 गै०मु० खाला, 6/1/.228, 6/2/.025 है0 गै०मु० खाला, प0न0 209/306 मु0 28 किलानं0 1/.253, 2/1/.089 है0, 10/1/.088 है० वाद पत्र की दफा 4 में दर्ज तथ्य स्वीकार है। वाद पत्र की दफा 3 में दर्ज बटवरां के अनुसार वादी अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है व अपनी आराजी की रकम राज जमा करवाता चला आ रहा है इसलिए वाद पत्र की दफा 3 में दर्ज बटवारां के अनुसार वादी व हम् प्रतिवादीगण का खाता तकसीम कर रकम S राज अलग से कायम की जाती है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। इसी अनुसार हमारा आपस मे राजीनामा हो गया है। हम प्रतिवादीगण राजीनामा से पूर्णतया सहमत है। वाद पत्र की दफा 5 लाइल्मी दर्ज की गई है। वाद पत्र की दफा 6 कानूनी है। वाद पत्र की दफा 7 कानूनी है। लिहाजा जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है

अधिकारी
नायक कलेक्टर
दिल्ली

तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज व ऐतराज नही है। राजपैरोकार द्वारा जवाब स्टेट पेश कर निवेदन किया कि राज्यहित को ध्यान में रखते हुए वाद का निस्तारण किया जावे।

प्रस्तुत वाद में सहमति का जवाबदावा पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही, वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया, वाद के समर्थन में वादी द्वारा जमाबंदी चक 8 एस एल डब्लयु के खाता स0 15/14 प्रदर्श 1, वादी आधार कार्ड प्रदर्श 2 आदि दस्तावेज प्रदर्श करवाए।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी, दौराने बहस वकील वादी एंव प्रतिवादीगण के वादीगण एंव प्रतिवादीगण के हक व हिस्सा अनुसार आराजी का घरू बंटवारे मुताबिक खाता तकसीम किये जाने का निवदेन किया।

बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया हस्तगत प्रकरण में वादभूमि वादीगण के नाम से दर्ज राजस्व रिकोर्ड है। दर्ज आराजी में से वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में अपने अपने कब्जा काश्त व रास्ता, खाला की सहुलियत के अनुसार आपस में बाहमी विभाजन किया हुआ है जिसके अनुसार वादी व प्रतिवादीगण ने अपनी आराजी का खाता विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा है। प्रस्तुत दस्तावेजो एंव उभयपक्ष की सहमति के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है क.वादी अर्शदीप सिह को प्राप्त आराजी– चकनं0 8 एस. एल.डबल्यू के प०न० 208/306 मु0 29 किलानं0 1 ता 4/1.012 है0, 7 ता 10/1.012 है0,

ख. प्रतिवादी सं० 1 गगनदीप सिह को प्राप्त आराजी – प०न० 207/304 मु० 11 किलानं0 12,19,20,21, 22, 23/1.518 है०, प०न० 210/306 मु0 27 किलानं0 10, 11/.506 है0

प्रतिवादीसं० 2 कर्मसिह को प्राप्त आराजी– चकनं0 8 एस. एल. डबल्यू के प०न० 208/306 मु0 29 किलानं0 5/1/.228, 5/2/.025 है० गै०मु० खाला, 6/1/.228, 6/2/.025 है0 गै०मु० खाला, प०न० 209/306 मु० 28 किलानं० 1/.253, 2/1/.089 है0, 10/1/.088 है0 इसी अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगण का खाता विभाजन कर रकमराज अलग से कायम किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16/4/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

वि0न0:—523/2025

1 अर्शदीप सिह पुत्र रघुवीरसिह जाति जटसिख निवासी रिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम्

1. गगनदीप सिह पुत्र रघुवीरसिह
2. कर्मसिह पुत्र बरयामसिह

} जाति जटसिख निवासीयान रिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादीगण

डिक्री दिनांक 16/4/26

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाष गर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:— क.वादी अर्शदीप सिह को प्राप्त आराजी— चकनं0 8 एस. एल.डबल्यू के प०न० 208/306 मु0 29 किलानं0 1 ता 4/1.012 है0, 7 ता 10/1.012 है0,

ख. प्रतिवादी सं० 1 गगनदीप सिह को प्राप्त आराजी — प०न० 207/304 मु० 11 किलानं0 12,19,20,21, 22, 23/1.518 है०, प०न० 210/306 मु0 27 किलानं0 10, 11/.506 है0

प्रतिवादीसं० 2 कर्मसिह को प्राप्त आराजी— चकनं0 8 एस. एल. डबल्यू के प०न० 208/306 मु0 29 किलानं0 5/1/.228, 5/2/.025 है० गै०मु० खाला, 6/1/.228, 6/2/.025 है0 गै०मु० खाला, प०न० 209/306 मु० 28 किलानं० 1/.253, 2/1/.089 है0, 10/1/.088 है0 इसी अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगण का खाता विभाजन कर रकमराज अलग से कायम किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है बैंक के रहन वादी एंव प्रतिवादी के हिस्सानुसार स्थानान्तरित करते हुए एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/4/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी
(सत्यनारायण आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।